मध्यप्रदेश शासन

प्रधान मंत्री
आवास योजना–ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों हेतु

मार्गदर्शिका

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

''सबके लिये आवास–2022''

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

सं.क्र. 353, 02 दिसम्बर, 2016

संदेश

हर्ष का विषय है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा **''सबके लिये आवास–2022''** योजना के हितग्राहियों के लिये मार्गदर्शिका तैयार की गयी है। हितग्राहियों को बधाई। अब अच्छे घर का सपना साकार होगा।

राज्य सरकार का संकल्प है कि 2022 तक प्रत्येक गरीब आवासहीन परिवार को आवास सुविधा मिले। इसी वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जायेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर हर नागरिक को आवास उपलब्ध कराने के लिये तेजी से गतिविधियां चल रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि हर आवासहीन परिवार के पास अपना घर हो। इस सपने को साकार करने में मध्यप्रदेश सरकार भरपूर योगदान देगी।

वर्ष 2018–19 तक 11 लाख से ज्यादा आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आशा है कि आप समय–सीमा में गुणवत्तापूर्ण आवास का निर्माण करवायेंगे। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका आपके लिये उपयोगी साबित होगी।

आपके सुखी, स्वस्थ व समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं।

(**शिवराज सिंह चौहान**)

मध्यप्रदेश शासन

गोपाल भार्गव
मंत्री,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मध्यप्रदेश

पत्र क्रमांक 607
भोपाल, दिनांक 2.12.2016

संदेश

आवास प्रत्येक परिवार की मूलभूत आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक के पास एक साफ–सुथरा सुरक्षित मकान हो तो वह पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हमारे कई ग्रामीणों के पास स्वयं का पक्का आवास नहीं है। इसी अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए **''सबके लिये आवास 2022''** के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण प्रारंभ की गई है।

'प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 'ग्रामीण विकास मंत्रालय', भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 03.36 लाख आवास बनाए जाने की योजना है।

आवास हेतु कुल राशि निम्नानुसार 04 किश्तों में FTO के माध्यम से आपके खाते में कार्य की प्रगति के आधार पर जमा होगी :–

- प्रथम किश्त रु. 40,000 / – कार्य प्रारंभ होने के साथ।
- द्वितीय किश्त रु. 40,000 / – प्लिंथ (कुर्सी) स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर।
- तृतीय किश्त रु. 40,000 / – लिंटल (छज्जा) स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर।
- चतुर्थ किश्त के रूप में रु. 12,000 / – स्वच्छ भारत मिशन से तथा रु.18000 / – दिवस की मजदूरी मनरेगा से प्रदाय की जावेगी।

योजनान्तर्गत लाभार्थी के रूप में आपका चयन होने पर आपको बधाई। आशा करता हूं कि आप समय–सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से अपने आवास का कार्य पूर्ण कर लेंगे। आपके सुखी व समृद्ध जीवन की कामना के साथ।

(गोपाल भार्गव)

मध्यप्रदेश शासन

विश्वास सारंग
राज्यमंत्री,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मध्यप्रदेश

पत्र क्रमांक Q-1/2016
भोपाल, दिनांक 2.12.2016

संदेश

भारत की सभ्यता एवं संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। इस संस्कृति की जड़ें हमारे रहवास से जुड़ी हुई हैं। कई ग्रामीणों के पास आज भी स्वयं का पक्का आवास नहीं है। इस अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **''सबके लिये आवास 2022''** प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण शुरू की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को मकान उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक अभिनव योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2018–19 तक रु. 11.80 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है।

इस योजनांतर्गत आवास निर्माण के लिए रु. 1.20 लाख, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए पात्रता अनुसार रु. 12000/– और मनरेगा से रु. 18000/– सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

योजना में आपका चयन होने पर आपको बधाई। आशा करता हूँ कि आप समय–सीमा में अच्छे ढंग से अपने आवास का निर्माण करवा लेंगे।

आपके सुखी और समृद्ध जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

शुभकामनाओं सहित।

(विश्वास सारंग)

प्रधान मंत्री
आवास योजना–ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

कार्यालय जनपद पंचायत–.....
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत
स्वीकृति आदेश

क्रमांक ..... दिनांक.....

श्री .....
.....
.....

संदर्भ : हितग्राही का SECC नंबर .....।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपका चयन SECC-2011 की सूची में पात्र पाये जाने पर किया गया है।

2. अतः आवास निर्माण हेतु आपको स्वीकृति दी जाती है। इस स्वीकृति के साथ अनुदान की प्रथम किश्त रु. 40,000/– आपके बैंक खाते में FTO से अंतरित करने के आदेश दिए गए हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप एक सप्ताह के भीतर आवास निर्माण प्रारंभ करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत .....
जिला .....

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को सूचित करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत .....
जिला .....

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

प्रधान मंत्री
आवास योजना–ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **"सब के लिए आवास 2022"** का लक्ष्य पाने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण प्रारंभ की गई है। इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत :–

1. ''सभी के लिये घर'' के उद्देश्य को पूरा करने के लिये आपको यह लाभ बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास बनाने के लिये दिया जा रहा है।
2. आवास कम से कम 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनायें, जिसमें स्वच्छ रसोई भी शामिल है।
3. बुनियादी सुविधायुक्त आवास का निर्माण यथासंभव प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों से करवायें।
4. यदि आप तकनीकी सहायता चाहें तो आपकी ग्राम पंचायत के क्लस्टर में पदस्थ उपयंत्री निःशुल्क सहायता देंगे। उपयंत्री की सहायता लेना बंधनकारी नहीं है।
5. रुपये 1,20,000/– की राशि के अलावा आवास निर्माण के लिये मनरेगा से रु. 18000/– की मजदूरी एवं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिये रुपये 12,000/– की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
6. राशि आपके बैंक खाते में सीधे भुगतान की जायेगी।
7. यदि आप चाहें तो आवास में अतिरिक्त कार्य के लिये बैंक से रु. 70,000/– तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आपकी सहायता करेंगे।

अनुदान लाभ

अनुदान राशि 4 किश्तों में दी जायेगी जो एफटीओ के माध्यम से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जमा की जावेगी। आपकी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा 'मोबाइल एप' के माध्यम से प्रत्येक स्तर के कार्य का फोटो खींचकर अपलोड किया जायेगा।

किश्तें	किश्त की राशि (₹)	निर्माण स्तर
प्रथम	चालीस हजार	आवास स्वीकृति के साथ
द्वितीय	चालीस हजार	प्लिंथ (कुर्सी) स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर
तृतीय	चालीस हजार	लिंटल (छज्जा) स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर
चतुर्थ	तीस हजार	मकान एवं शौचालय का निर्माण पूर्ण होने पर

- स्वीकृति दिनांक से आवास निर्माण का कार्य आपको यथासंभव छह माह में पूर्ण करना होगा।
- आवास निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना का 'लोगो' लगाने के बाद ही पूर्ण माना जायेगा।

आवास डिजाइन

- हितग्राही इस पुस्तिका के 9 आवास डिजाइन (परिशिष्ट–1) में से किसी भी एक अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य डिजाइन का आवास बना सकते हैं।
- आवास में बुनियादी सुविधाएँ रखी जाना आवश्यक है :–
  - कम से कम 25 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल।
  - शौचालय।
  - सुविधाजनक रसोई।
- आवास में अतिरिक्त सुविधाएँ जोड़ने की कोशिश करें जैसे
  - स्नान घर।
  - नल कनेक्शन।
  - बिजली कनेक्शन।
  - चार दीवार (बाउन्ड्री वाल)
- सामने की दीवार पर 80 से.मी. X 80 से.मी की जगह में निम्नानुसार लोगो बनाना अनिवार्य होगा।

प्रधान मंत्री
आवास योजना–ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

हितग्राही –

स्वीकृति वर्ष –

लागत –

- मच्छरों से बचाव हेतु आवास के दरवाजों खिड़कियों में बारीक जाली लगाई जाए, ताकि मलेरिया से बचाव हो।
- हितग्राही यह सुनिश्चित करें कि आवास के आस–पास गंदगी या पानी इकट्ठा न हो। पानी की निकासी का समुचित उपाय हो।

आवास की नींव और प्लिंथ कार्य में हितग्राही क्या देखें

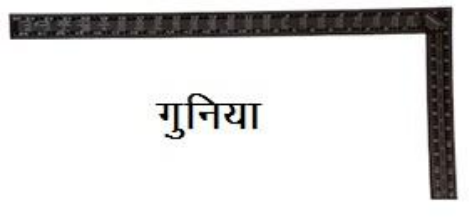

- ले–आउट आपके द्वारा चयनित ड्राइंग अनुसार कराएं ताकि निर्माण पूरा कराने में राशि कम न पड़े।
- ले–आउट अनुभवी मिस्त्री अथवा उपयंत्री से कराएं।
- ले–आउट सभी कोनों में समकोण हो। इसकी जांच गुनिया से भी की गई हो।
- ले–आउट में गलती होने से आवास की दीवारें टेड़ी (रेंच) होने की आशंका रहती है।
- यदि गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है तो पाईल फाउण्डेशन बनाया जाए। अन्य स्थिति में कॉलम फुटिंग का फाउण्डेशन बनाया जावे।
- कवेलू की छत बनाने की स्थिति में कॉलम फुटिंग के स्थान पर ओपन फाउण्डेशन का भी विकल्प रहेगा।

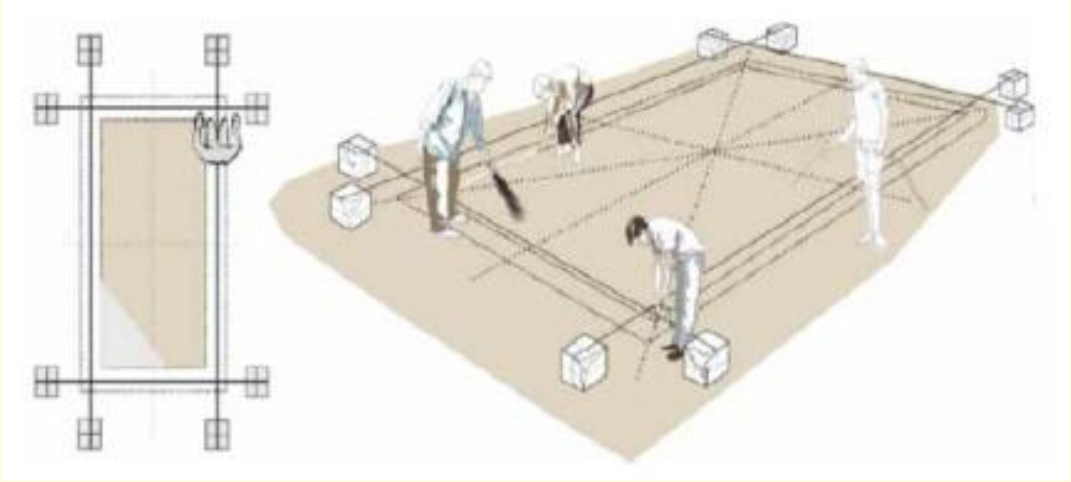

- कॉलम फुटिंग की नींव पक्की कठोर मिट्टी, मुरम या चट्टान पर ही रखी जाए।
- कॉलम का बेसकांक्रीट 1:4:8 (1 तगाड़ी सीमेंट, 4 तगाड़ी रेत और 8 तगाड़ी 40 मिमी गिट्टी) का डाला जाए।
- प्लिंथ स्तर पर सीमेंट कांक्रीट की बीम नक्शे में दर्शाये अनुसार डाली जा रही हो।
- प्लिंथ स्तर सड़क के स्तर से 30 सेमी या अधिक ऊँचाई पर रखा जाए।
- कॉलम/पाईल फुटिंग और प्लिंथ सभी में निर्धारित आकार का लोहे का सरिया/ जाल/रिंग बनाकर डाला जाए।

- प्लिंथ में दानेदार मुरम अथवा बजरी का भराव 15–15 सेमी की परतों में किया जाए।
- प्रत्येक परत में पानी डालकर दुरमुट से पर्याप्त कुटाई की जाए।
- बरामदे की प्लिंथ का स्तर मुख्य कमरों के प्लिंथ से कम से कम 10 सेमी नीचे रखा जाए।
- बरामदे का ढाल बाहर की ओर हो, ताकि बरामदे में पानी नहीं रूके।

दीवारों के कार्य में हितग्राही क्या देखें

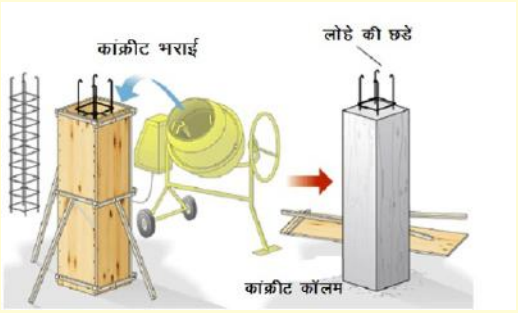

- नक्शे में दर्शाये अनुसार ही लोहा डालकर कॉलम में सेंटरिंग लगाई जाए।
- कॉलम को निर्धारित ऊँचाई तक कांक्रीट से भरा जाए।
- सेंटरिंग के पटिए, लोहे के सरिये तथा रिंग निर्धारित आकार और गुणवत्ता के हों।
- उपयोग की जा रही 12–20 मि.मी. ग्रेडेड गिट्टी, क्रेशर से टूटी हुई हो।
- ईंटों की जुड़ाई करने के पूर्व ईंटों को पानी की टंकी में कम से कम 2 घंटे तक डुबाकर रखा जाए।

- ईंटों की जुड़ाई के दौरान दरवाजे, खिड़कियों एवं रोशनदान को भी अपने निर्धारित स्थानों पर साहुल में लगाया जा रहा हो।
- दरवाजे, खिड़कियों एवं रोशनदान के चौखट एवं पल्ले लोहे के हों।
- लिंटल और छज्जों के लिए नक्शे के अनुसार ही लोहे के सरिये बांधे जाएं।
- ध्यान रखें कि छज्जों के लिए मुख्य सरिये ऊपर की दिशा से बांधे गये हों।
- जुड़ाई में 2 ईंटों के जोड़ 1 सेमी से बड़े न हों। जोड़ लगातार एक के ऊपर एक न लगाए जाएं।
- ईंटों का खांचा ऊपर की ओर हो।
- दरवाजे और खिड़की के होल्ड फास्ट कांक्रीट में दबाये गए हों।

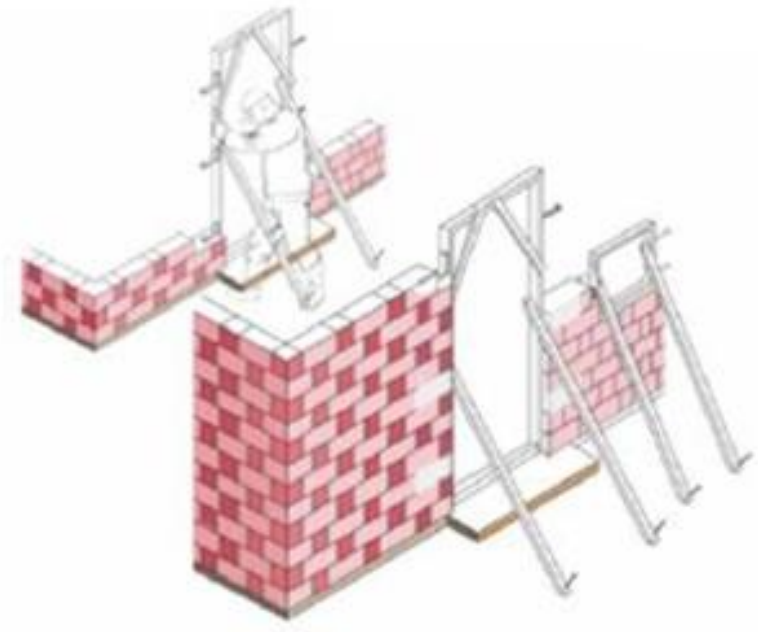

कांक्रीट की छत के कार्य में हितग्राही क्या देखें

- आवास में सीमेंट कांक्रीट स्लेब की ही छत डाली जा रही हो।
- छत में डाले जाने वाले लोहे का आकार और बिछाने का तरीका ड्राईंग में बताये अनुसार हो।
- छत की ढलाई सीमेंट कांक्रीट (सीमेंट, रेत, गिट्टी) के न्यूनतम 1:2:4 अनुपात से ही की जा रही हो।
- छत की सेंटरिंग मजबूत हो। यथासंभव लोहे की प्लेट से बनी हो।
- सेंटरिंग की सतह चिकनी हो, जिससे बाद में प्लास्टर की आवश्यकता न पड़े।
- सेंटरिंग लगाने से पूर्व फर्श की बेस कांक्रीट का कार्य कराया जाये।
- सेंटरिंग के बाद लोहा बिछाते समय लोहे का आकार, उसका झुकाव और बंधाई ड्राईंग अनुसार हो।
- दो सरियों के बीच सामान्यतः 15 सेमी से ज्यादा दूरी न हो।
- प्रत्येक सरिये में कम से कम 25 मि.मी. का कव्हर (सेंटरिंग की सतह एवं लोहे की छड़ में दूरी) दिया जा रहा हो।
- छत की ढलाई में 10 सेमी का ढाल बाहर की ओर दिया जा रहा हो। यह ढाल सेंटरिंग में दिया गया हो।
- व्यवहारिक रूप से बाहर की दीवाल में यदि एक ईंट कम लगाई जाये तो यह पर्याप्त होगा।
- छत एवं बीम की कांक्रीट में 12 मिमी – 20 मिमी की, क्रेशर की टूटी ग्रेडेड गिट्टी का ही उपयोग किया जा रहा हो।
- उपयोग की जाने वाली रेत साफ धुली हुई हो। काली या मिट्टी मिली हुई रेत उपयोग नहीं किया जा रहा हो।
- 3 माह से अधिक पुरानी सीमेंट उपयोग नहीं किया जा रहा हो।
- सीमेंट बनने का सप्ताह एवं वर्ष सीमेंट की बोरी पर लिखा होता है।

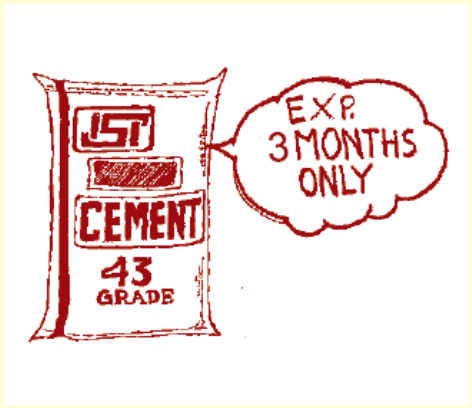

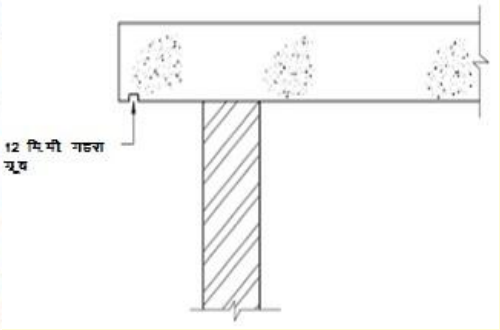

- छत एवं बीम की कांक्रीट की ढलाई के लिए मैकेनिकल मिक्सर का उपयोग किया जाए।
- ढलाई के समय वाईब्रेटर का उपयोग किया जाए।
- कांक्रीट बनाने के लिए पीने योग्य पानी का ही उपयोग किया जाए।
- सीमेंट की एक बोरी के लिए औसतन 22 लीटर से अधिक पानी का उपयोग नहीं किया जाए।
- सेंटरिंग को कांक्रीट ढलाई के 14 दिन तक नहीं खोला जाए।
- तराई भी 21 दिन तक छत पर मसाले की क्यारियां बनाकर की जाए।
- छत दीवार से कम से कम 15 सेमी बाहर निकली हो एवं इस पर मुंडेर नहीं बनाएं।
- इस निकले हुए हिस्से के सिरे पर एक ग्रूव बनाया गया हो, ताकि पानी दीवारों तक न पहुंचे।

यदि सीमेंट कांक्रीट के स्थान पर कवेलू की छत डाली जाये तो हितग्राही क्या देखे?

- मेंगलौर / बालाघाट / मोरवी / बागड़ा तवा के प्रचलित कवेलू का ही उपयोग किया गया हो।
- कवेलू लगाने के लिए 4 इंच व्यास की बल्लियां 60–70 से.मी. की दूरी पर लगाई गई हो।
- राफ्टर के लिए बल्लियों के स्थान पर कटी हुई लकड़ी भी उपयोग की जा सकती है, जिसका आकार 3 इंच X 4 इंच से कम न हो।
- इन राफ्टर्स के ऊपर बांस या कटी हुई लकड़ी के बेटन 8 – 10 इंच दूरी पर लगाये जायेंगे। यह दूरी कवेलू में बने हुये खांचे के अनुसार होगी।
- रिज (मध्य की बड़ी लकड़ी– जिसे म्यारी या म्याल भी कहते हैं) का व्यास 6 इंच से कम न हो। यदि कटी हुई लकड़ी लगाई जाती है तो उसका आकार 4 इंच X 6 इंच से कम न हो।
- यदि लकड़ी का उपयोग किया जाता है तो उसमें इमारती लकड़ी जैसे सागौन का प्रयोग न करते हुए साल, बीजा, हल्दू, अंजर, बबूल आदि का उपयोग किया गया हो।
- कवेलू अच्छे पक्के हुए हो, जिसमें आपस में टकराने पर धातु ध्वनि महसूस हो।
- रिज की बल्ली या लकड़ी को दीवार में गेबल सिरे के सर्वोच्च भाग पर रखा जाये। इसे रखने की जगह पर कांक्रीट का दीवार की चौड़ाई के बराबर का 8 इंच (20 से.मी.) गहराई का सीमेंट कांक्रीट का ब्लॉक (1:2:4) डाला गया हो। कांक्रीट ब्लॉक में कम से कम 12 मिमी मोटा लोहे का एंकर बोल्ट लगाया जाये, जिसे रिज में छेद करके कसा जायेगा।
- यदि कॉलम की स्थिति रिज के ठीक नीचे है तो यही प्रक्रिया कॉलम के ढलाई के समय की जायेगी।
- रिज को रखने के लिए दीवार को तिकोना गेबल के रूप में बनाया जायेगा। इस गेबल का दोनों ओर का ढाल 1:3 से 1:2 के मध्य रखा जाये।

- यदि कमरे की चौड़ाई अधिक है तो कैंची लगाना पड़ सकती है।
- राफ्टर दीवार के बाहर की ओर कम से कम 50 से.मी. निकले हों। राफ्टर के अंत में एक लोहे की चादर या पटिये का बोर्ड बनाया जायेगा, ताकि छत का पानी दीवार पर न उतरे, सीधा नीचे गिरे।
- कवेलू की छत के नीचे की तीन कतार में कवेलूओं को सीमेंट मसाले (1:3) से जोड़ा गया हो।
- रिज के लिए लगने वाले टाईल तिकोने आकार के होते हैं, वो रिज की लकड़ी के ऊपर पूरी लंबाई में लगाये गये हो और उन्हें सीमेंट मसाले से पैक किया गया हो।
- छत में कवेलू डालने के पहले बनाये गये लकड़ी या लोहे के ढांचे को लंबाई एवं चौड़ाई की दिशा में सूत बांधकर प्रत्येक बेटन को चैक किया गया है कि वे एक सीध में है, ताकि छत निर्माण के बाद झोल न दिखे। यही प्रक्रिया रिज के लिए भी की जायेगी।
- कवेलू के लिए ढांचे का निर्माण करने और कवेलू बिछाने के लिए जानकार मिस्त्री एवं कारपेंटर (बढई) को नियोजित किया जाये।
- कवेलू के आखिरी तार को लंबाई की दिशा में मोटे तार या 3 मि.मी. के सरिये से बांध दिया जाये, ताकि कवेलू के हवा या बंदरों के कूदने के कारण टूट–फूट न हो।
- कवेलू लगाने के पहले लकड़ी के ढांचे को दो कोट अच्छी किस्म के पेंट से पेटिंग की जाये।
- दोनों ओर के गेबल सिरों के ऊपर कवेलू बिछाने के बाद मुंडेर बनाई जाये। यह मुंडेर सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 या ईंटों की जुड़ाई करके ऊपर कोपिंग करके बनाई जा सकती है।

रसोई के कार्य में हितग्राही क्या देखें?

- रसोई में हवा हेतु खिड़की लगाई गई हो।
- रसोई में दो रोशनदान आवश्यक रूप से लगाए जाएं, जिससे कि धुंए की समस्या नहीं हो।
- प्लेटफार्म इस तरह बनाया जाए कि गैस चूल्हा रखा जा सके। इसकी चौडाई 50 से.मी. से कम न हो।
- रसोई से पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए।

फिनिशिंग एवं अन्य कार्य में हितग्राही क्या देखें

- छत की सेंटरिंग खुलने के बाद उसकी सतह चिकनी हो।
- यदि सतह चिकनी नहीं हो तो उसे अगले 48 घंटे के अंदर ठीक कराया जाए।
- प्लास्टर का कार्य करने के पूर्व ईंट की दीवाल को गीला किया जाए।
- ईंट के जोड़ को 1 सेमी गहराई तक साफ किया जाए, ताकि प्लास्टर की पकड़ बने।
- सीमेंट मसाला 1:6 से प्लास्टर का कार्य किया जाए।
- बाहर की ओर कम से कम 10 मिमी और अंदर की ओर 15 मिमी प्लास्टर किया जाए।
- प्लास्टर करते समय प्लास्टर की सतह को साहुल और फंटी से चैक किया जाए।
- प्लास्टर को लगातार 7 दिन तक गीला रखा जाए।
- फर्श के कार्य के लिए 75 मिमी बेस कांक्रीट 1:4:8 के अनुपात (1 तगाड़ी सीमेंट, 4 तगाड़ी रेत और 8 तगाड़ी 40 मिमी गिट्टी) में डाला जाए।
- बेस कांक्रीट के ऊपर 40 मिमी मोटाई का सीमेंट कांक्रीट 1:2:4 का फर्श ही बनाया जाए।
- इसके ऊपर नीट सीमेंट से घुटाई भी की जाए।
- फर्श का कार्य 1 मीटर से 1.2 मीटर के वर्गाकार भागों में किया जाए।
- प्रत्येक वर्ग के बीच कांच की पट्टियां फर्श की मोटाई के बराबर लगाई जाए।
- फर्श की तराई कम से कम 7 दिन तक की जाए।
- दरवाजे खिड़कियां नक्शे के साथ बनी तालिका में दिये गये वजन एवं आकार के ही उपयोग किए जाएं।
- दरवाजे खिड़कियों एवं रोशनदान को लगाने से पहले उनमें कम से कम 2 कोट रेड आक्सॉइड (लाल रंग का अस्तर) प्रायमर पोता जाए अन्यथा उसमें जंग लगने की आशंका रहेगी।
- दरवाजे खिड़कियों एवं रोशनदान के प्रायमर के पहले उसमें लगा हुआ सीमेंट मसाला पूरी तरह से रेतमाल से साफ किया जाए।

शौचालय निर्माण कार्य में हितग्राही क्या देखें

- आवास निर्माण तभी पूरा माना जाएगा जब उसमें शौचालय की व्यवस्था हो।
- शौचालय के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दिये गये शौचालय की ड्राईंग, मानक स्पेशिफिकेशन और दोहरे लीच पिट के मानकों का उपयोग किया जा रहा हो।
- लीच पिट से शीटों का जंक्शन सावधानी से बनाया गया हो, जिससे बाद में किसी भी प्रकार का पानी का रिसाव न हो।
- लीच पिट में जालीदार ईंट की जुड़ाई की गई हो।
- भूतल से 30 सेमी नीचे तक की जुड़ाई ठोस रखी गई हो।
- शौचालय की नींव आरसीसी की बनाना आवश्यक नहीं है।
- कट स्टोन या शीट की छत भी बनाई जा सकती है।

- शौचालय के साथ स्वच्छ भारत अभियान के नक्शे के अनुसार एक टंकी और वॉशबेसिन भी लगाई गई हो।
  टंकी की ऊँचाई प्लिंथ से कम से कम 45 सेमी ऊपर हो।
- टंकी से एक नल का कनेक्शन वॉशबेसिन में और दूसरे का कनेक्शन शौचालय में दिया गया हो।
- शौचालय की फर्श में ढाल चारों ओर से लेट्रिन शीट की ओर दिया गया हो, ताकि पानी तत्काल शीट में चला जाए।
- शौचालय की दीवाल के आंतरिक भाग में सीमेंट मसाले 1:4 का प्लास्टर किया जाकर उस पर कम से कम 1 मीटर ऊंचाई तक सीमेंट से घुटाई की गई हो।
- शौचालय के साथ हितग्राही अपनी सुविधा अनुसार स्नानघर भी बना सकता है।

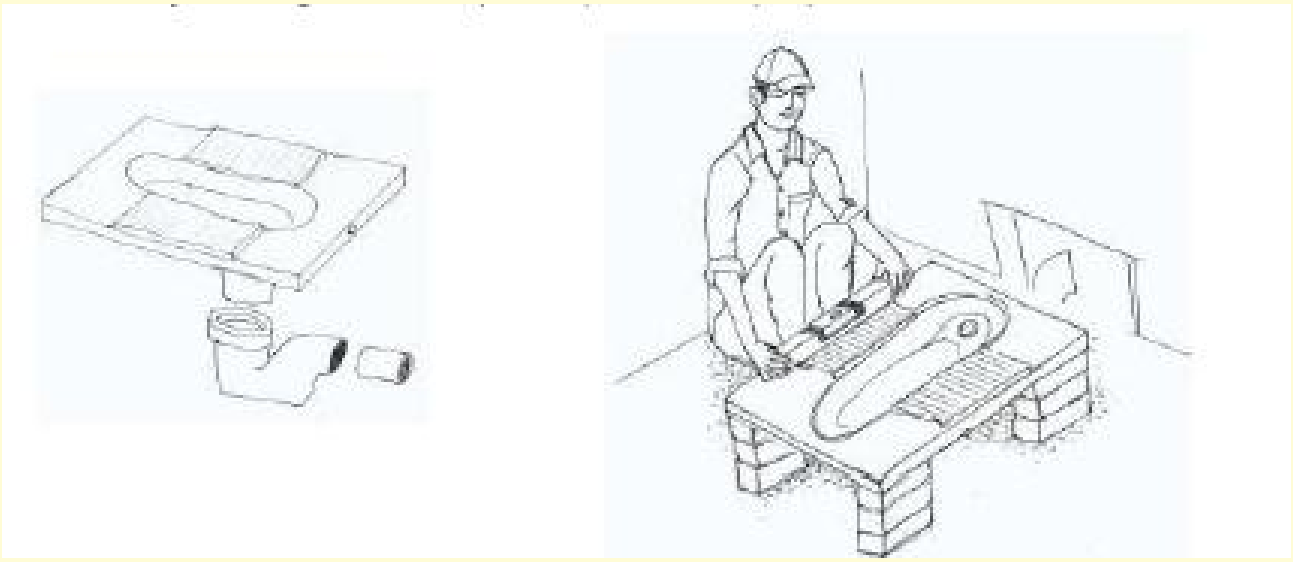

आवास निर्माण (शौचालय सहित) में लगने वाली सामग्री की मात्रा

- 25 वर्गमीटर के एक आवास निर्माण के लिए लगने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा :–

कॉलम फाउण्डेशन के आवास के लिए सामग्री

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर तक	प्लिंथ से लिंटल स्तर तक	लिंटल स्तर से पूर्ण होने तक (शौचालय सहित)	कुल मात्रा
1.	सीमेंट	बेग (बोरी)	35	20	50	105
2.	रेत	घ.मी.	3	3	6	12
3.	गिट्टी (40 मि.मी.)	घ.मी.	2.50		0.50	3.00
4.	गिट्टी (20 मि.मी.)	घ.मी.	3.00	1.5	4.50	9.00
5.	मुरम	घ.मी.	2.50		0.30	2.80
6.	लोहा					
	8 मि.मी.	कि.ग्रा.	100	20	100	220
	10 मि.मी.	कि.ग्रा.	115	10	215	340
	12 मि.मी.	कि.ग्रा.	170		20	190
7.	ईंट	नग	1000	5000	2000	8000
8.	दरवाजे	नग		2	1	3
9.	खिड़की	नग		4	4	4
10.	रोशनदान	नग		3	1	4
11.	चूना	कि.ग्रा.			40	40
12.	डिस्टेम्पर	कि.ग्रा.			10	10
13.	रेड आक्साईड प्राइमर	लीटर			2	2
14.	पेंट	लीटर			3	3
15.	सेंटरिंग	वर्ग मी.	10	25	25	60
16.	अन्य आयटम	वाशबेसिन 01, शीट 01, बेण्ड 01, 100 मि.मी. पाईप लगभग 5 मीटर, रस्सी, सुतली आदि विविध सामग्री				

पाईल फाउण्डेशन के आवास के लिए सामग्री

क्र.	सामग्री	मात्रा	प्लिंथ स्तर तक	प्लिंथ से लिंटल स्तर तक	लिंटल स्तर से पूर्ण होने तक (शौचालय सहित)	कुल मात्रा
1.	सीमेंट	बेग (बोरी)	35	20	50	105
2.	रेत	घ.मी.	2	3	6	11
3.	गिट्टी (40 मि.मी.)	घ.मी.	0.50		0.50	1.00
4.	गिट्टी (20 मि.मी.)	घ.मी.	2.50	1.5	4.50	8.50
5.	मुरम	घ.मी.	2.50		0.30	2.80
6.	लोहा					
	8 मि.मी.	कि.ग्रा.	130	20	100	250
	10 मि.मी.	कि.ग्रा.	45	10	215	270
	12 मि.मी.	कि.ग्रा.	280		20	300
7.	ईंट	नग	1000	5000	2000	8000
8.	दरवाजे	नग		2	1	3
9.	खिड़की	नग		4		4
10.	रोशनदान	नग		3	1	4
11.	चूना	कि.ग्रा.			40	40
12.	डिस्टेम्पर	कि.ग्रा.			10	10
13.	रेड आक्साईड प्राइमर	लीटर			2	2
14.	पेंट	लीटर			3	3
15.	सेंटरिंग	वर्ग मी.	10	25	25	60
16.	अन्य आयटम	वाशबेसिन 01, शीट 01, बेण्ड 01, 100 मि.मी. पाईप लगभग 5 मीटर, रस्सी, सुतली आदि विविध सामग्री				

- भवन हेतु दो दरवाजों में से एक दरवाजे (D1) का साईज 1 X 2 मीटर (लगभग 50 कि.ग्रा.) का होगा एवं अन्य (D2) का साईज 0.9 X 2 मीटर (लगभग 40 कि.ग्रा.) का होगा।
- शौचालय में लगने वाले दरवाजे (D3) का साईज 0.8 X 2 मीटर (लगभग 30 कि.ग्रा) होगा।
- खिड़की (W1) का साईज 0.9 X 1.2 मीटर (लगभग 30 कि.ग्रा. जाली सहित) होगा।
- रोशनदान का साईज 0.45 X 0.30 मीटर होगा।

परिशिष्ट – 1

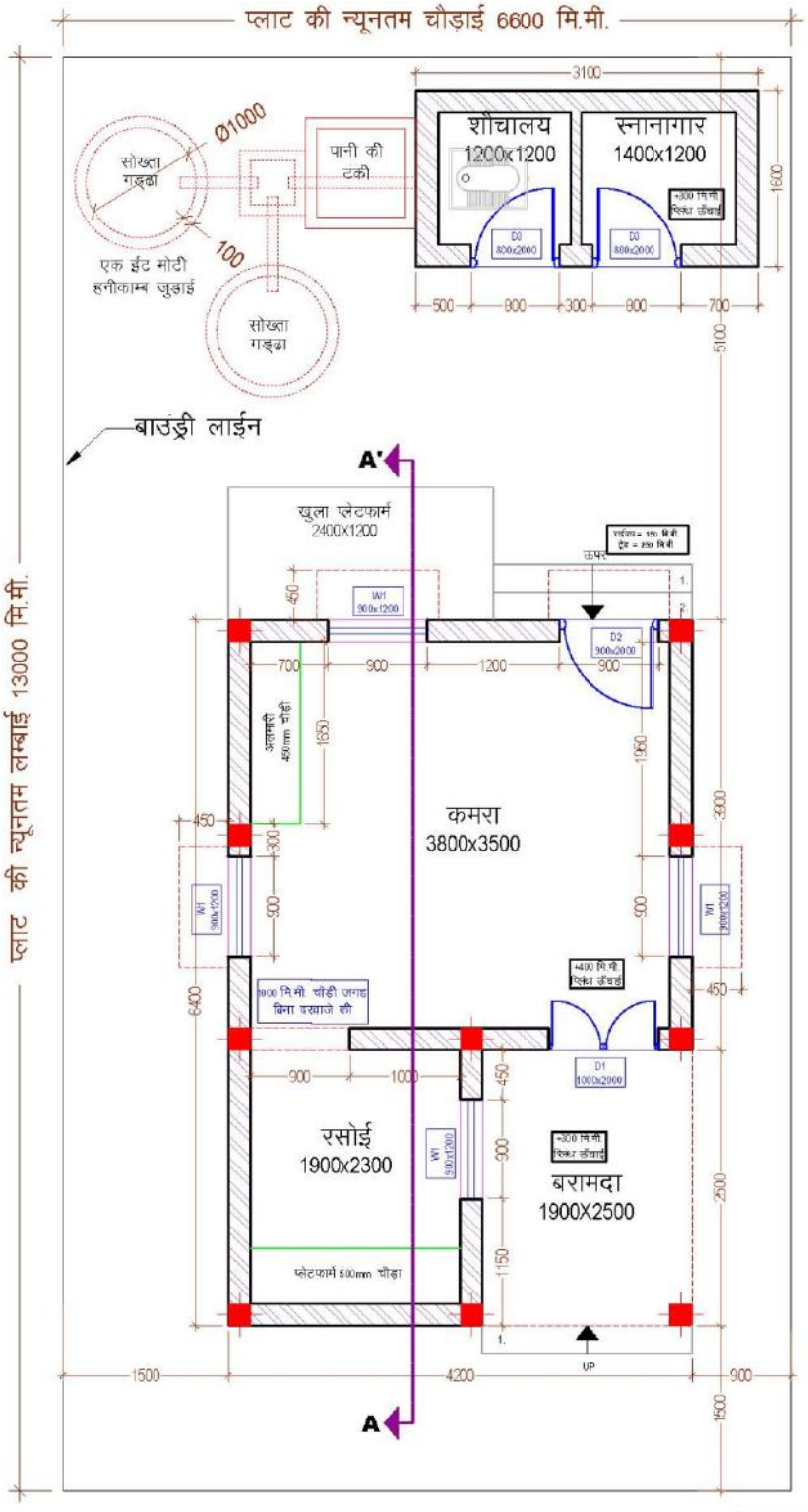

डिजाईन टाईप - I
प्लिंथ एरिया 26.88 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 6.60 मी. x 13.00 मी.(85.80 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – I

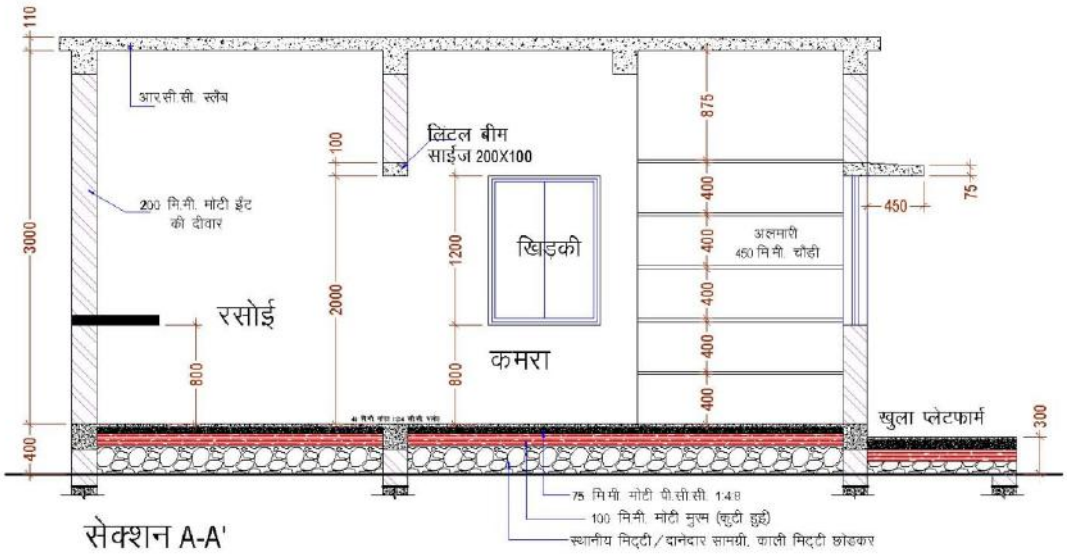

सेक्शन A-A'

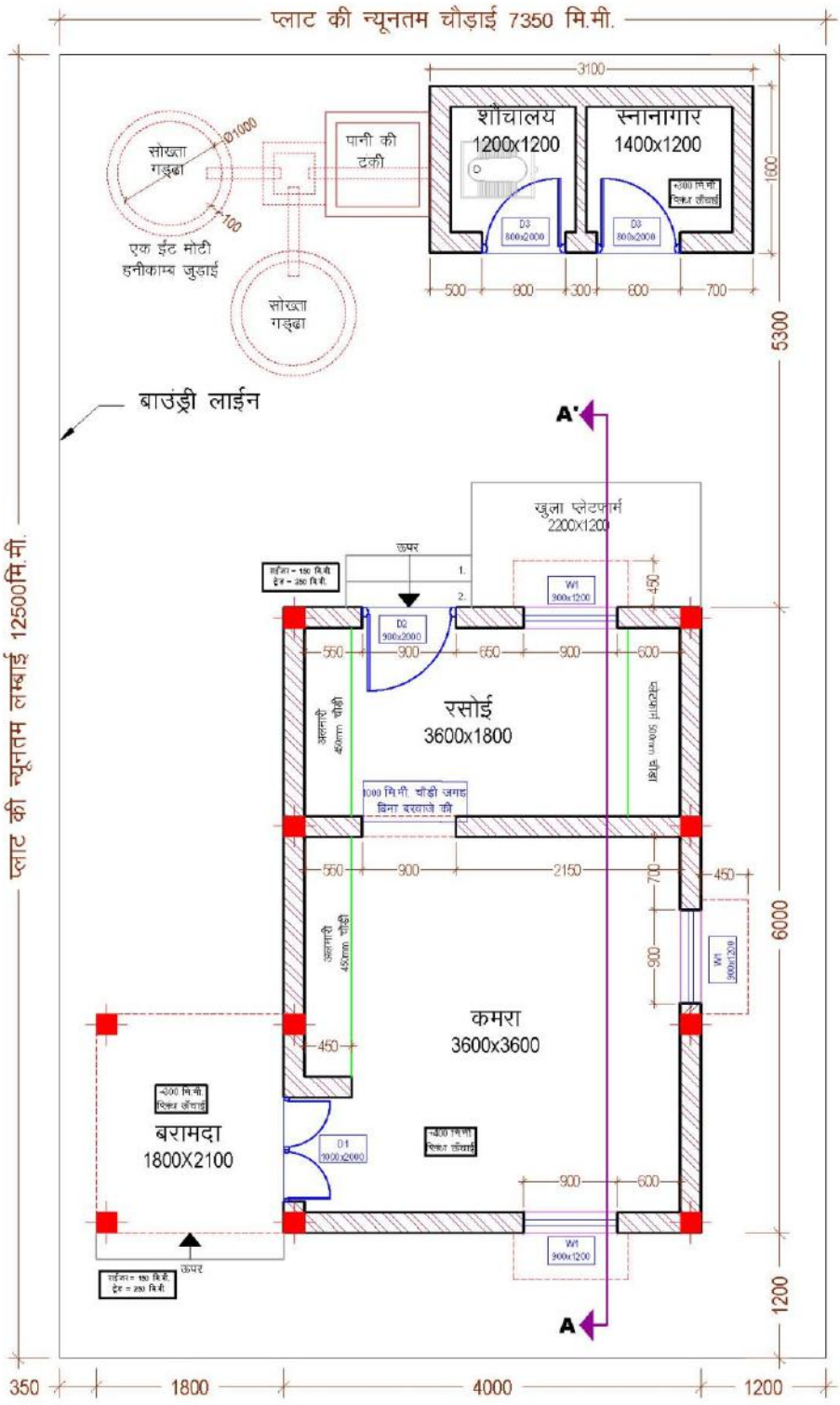

डिजाईन टाईप - II

प्लिंथ एरिया 27.60 वर्ग मीटर

न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 7.35 मी. x 12.50 मी.(91.88 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – II

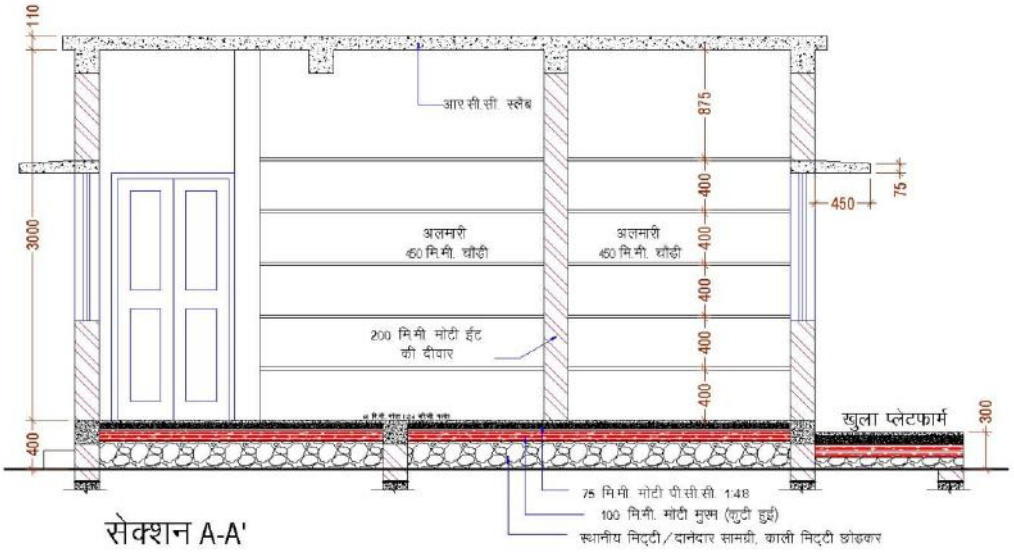

सेक्शन A-A'

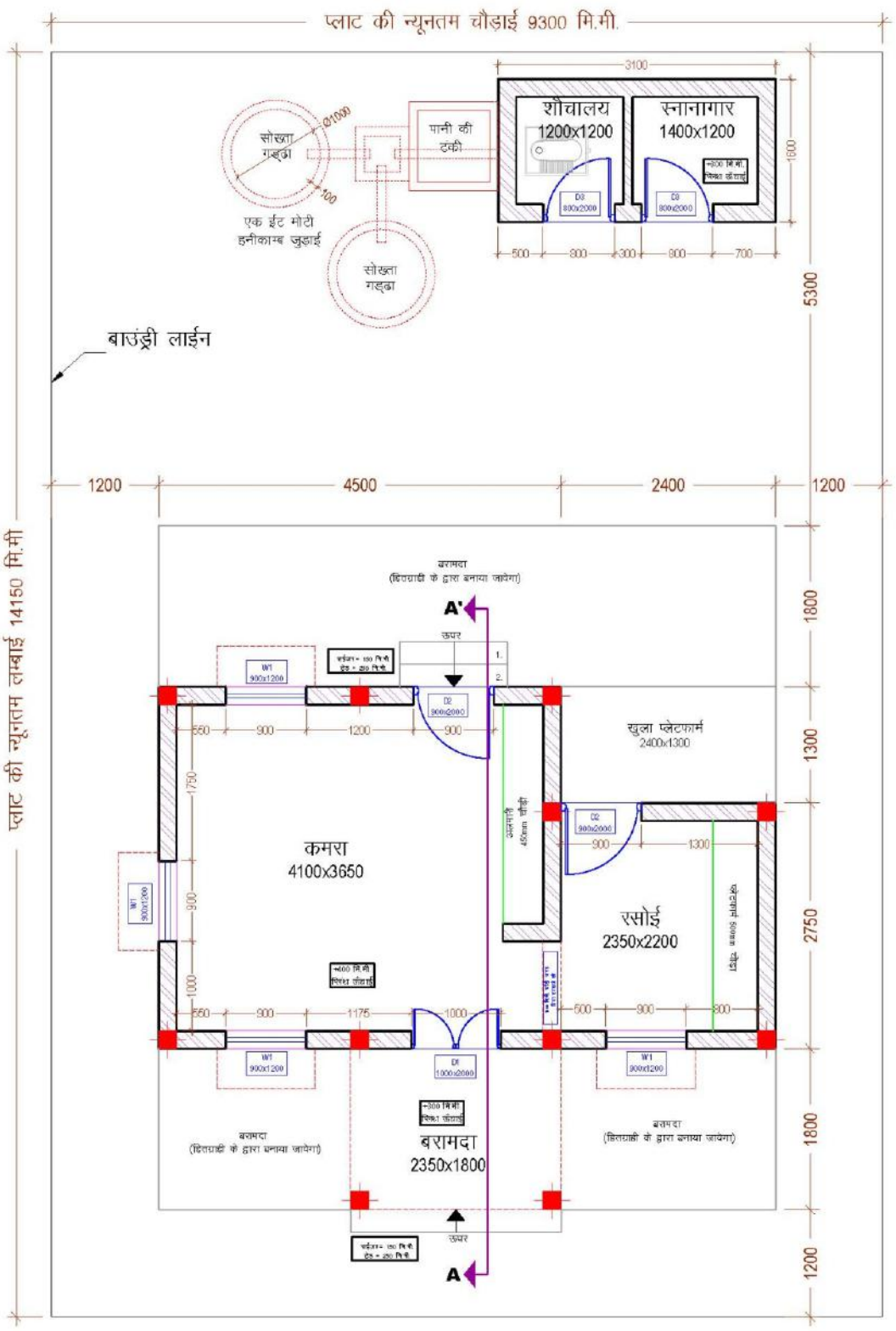

डिजाईन टाईप - III

प्लिंथ एरिया 29.33 वर्ग मीटर

न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 9.30 मी. x 14.15 मी.(131.60 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – III

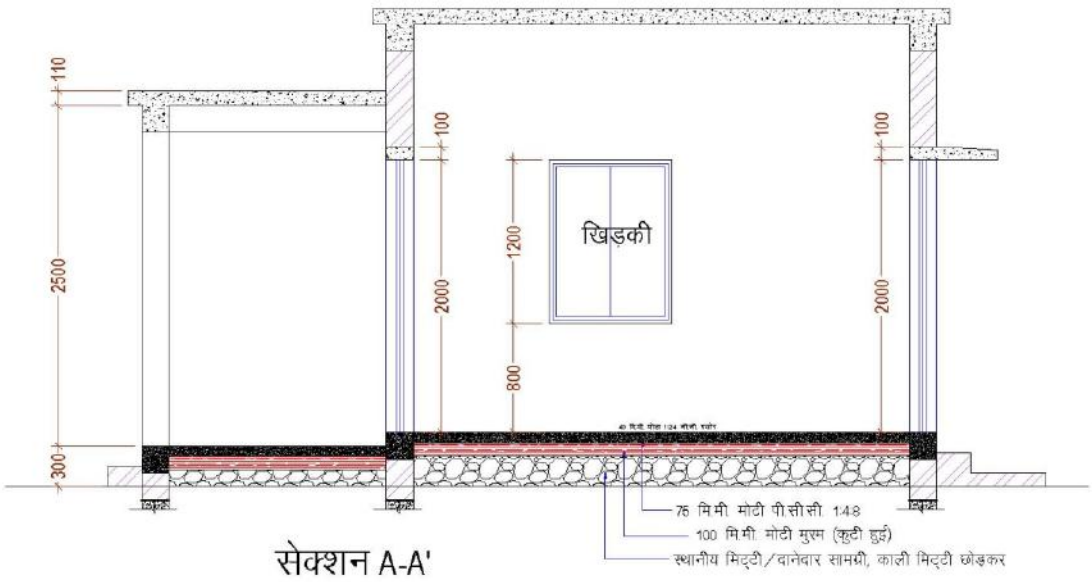

सेक्शन A-A'

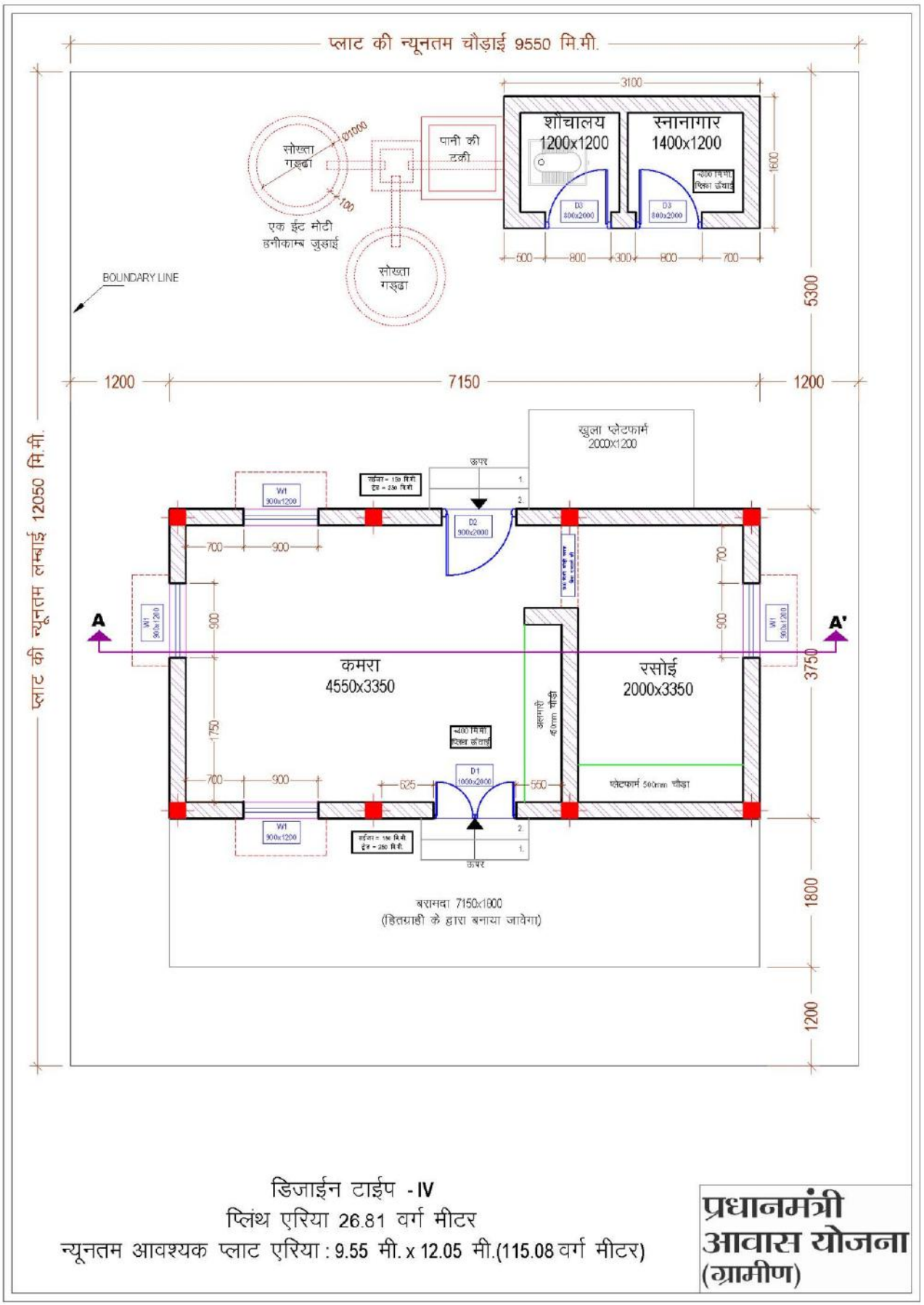

डिजाईन टाईप - IV

प्लिंथ एरिया 26.81 वर्ग मीटर

न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 9.55 मी. x 12.05 मी.(115.08 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – IV

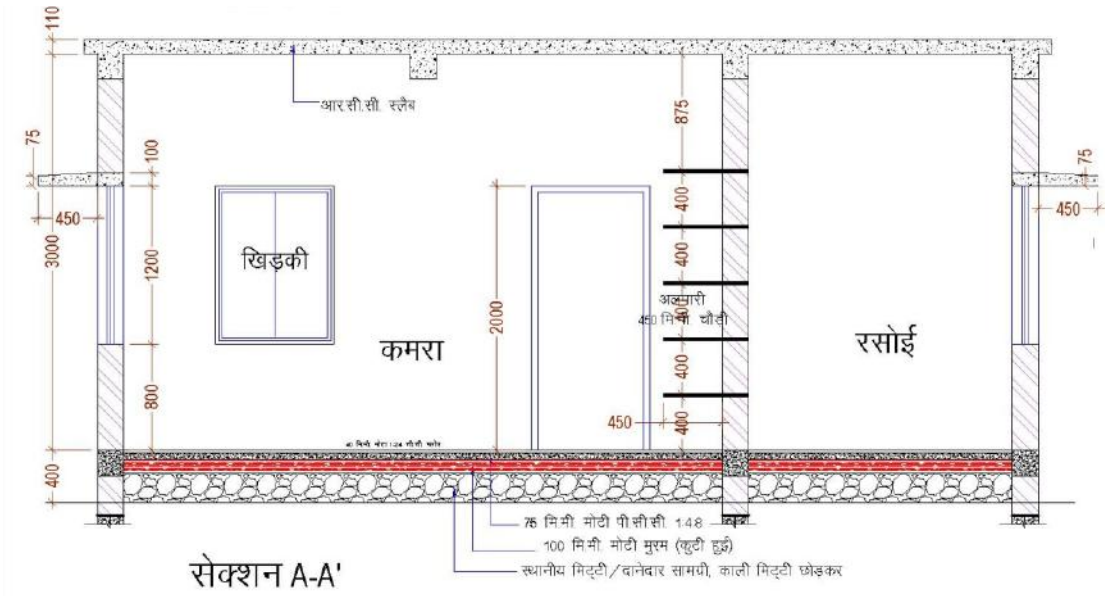

सेक्शन A-A'

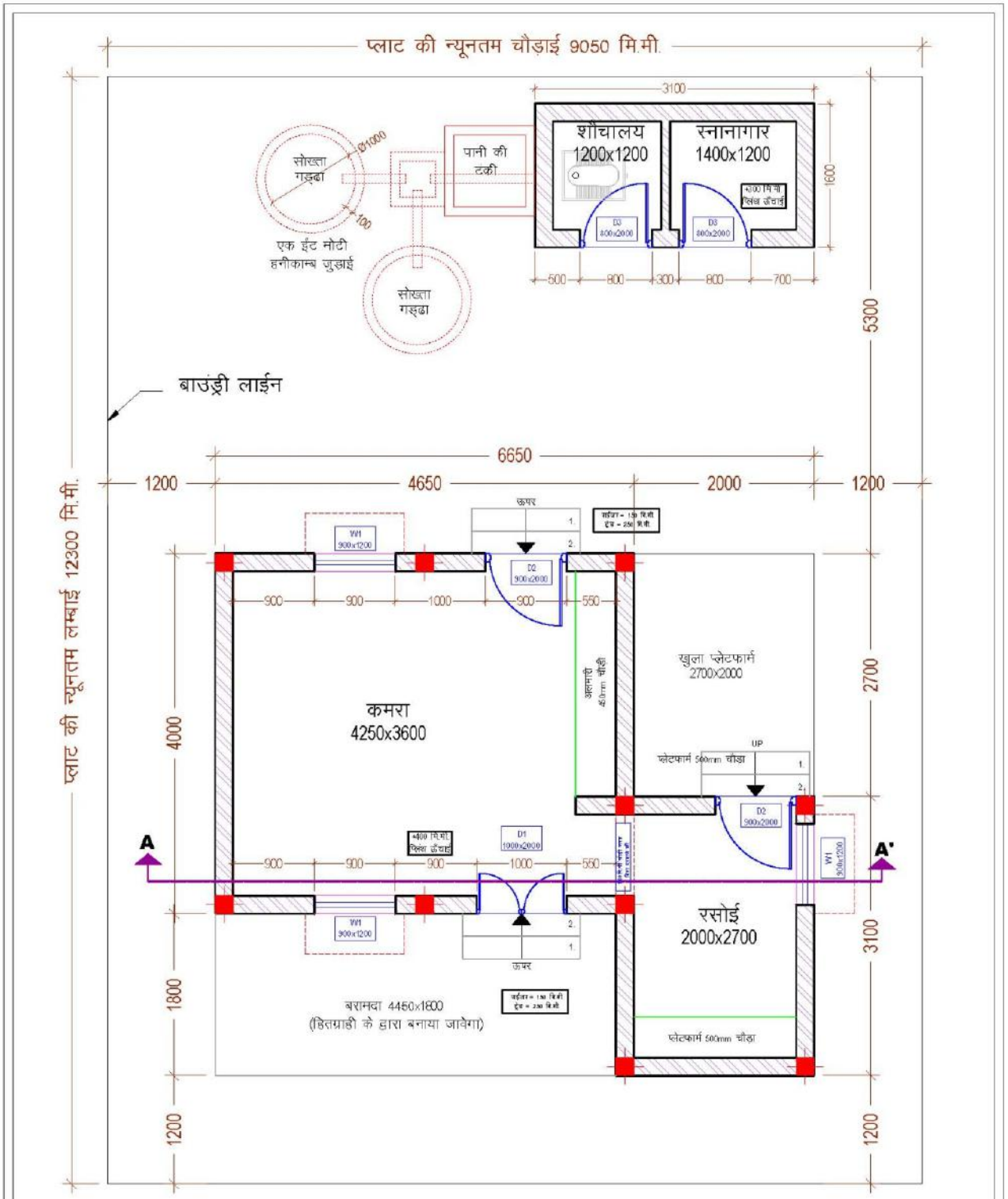

डिजाईन टाईप - V

प्लिंथ एरिया 25.20 वर्ग मीटर

न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 9.05 मी. x 12.30 मी.(111.32 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – V

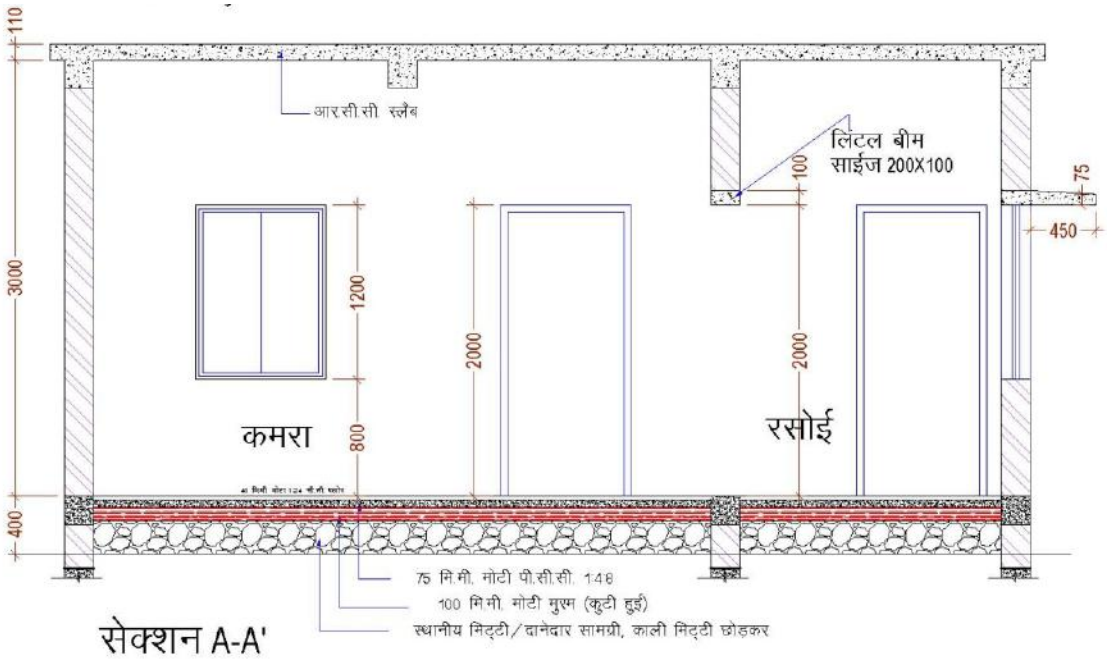

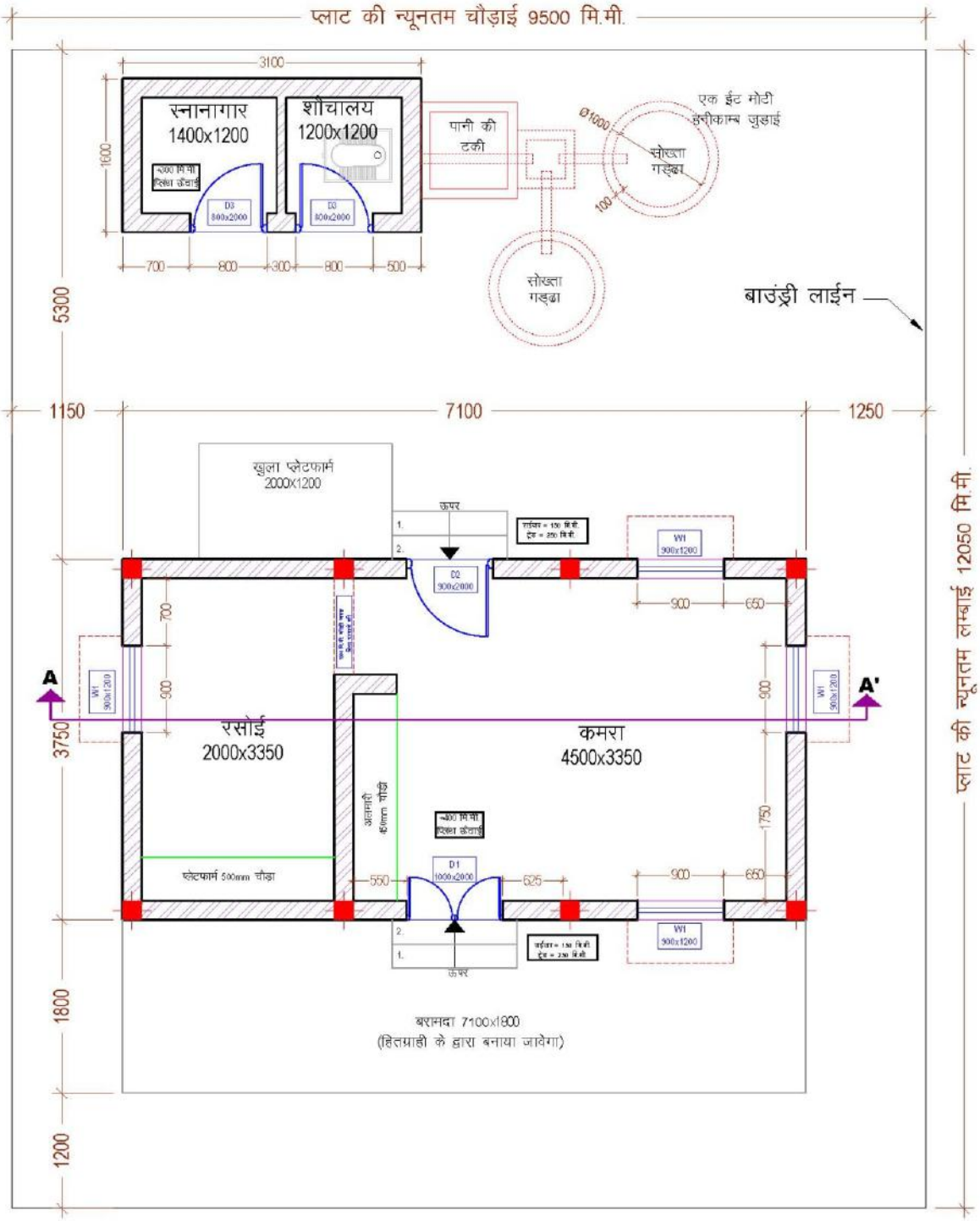

डिजाईन टाईप - VI

प्लिंथ एरिया 26.63 वर्ग मीटर

न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 9.50 मी. x 12.05 मी.(114.48 वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – VI

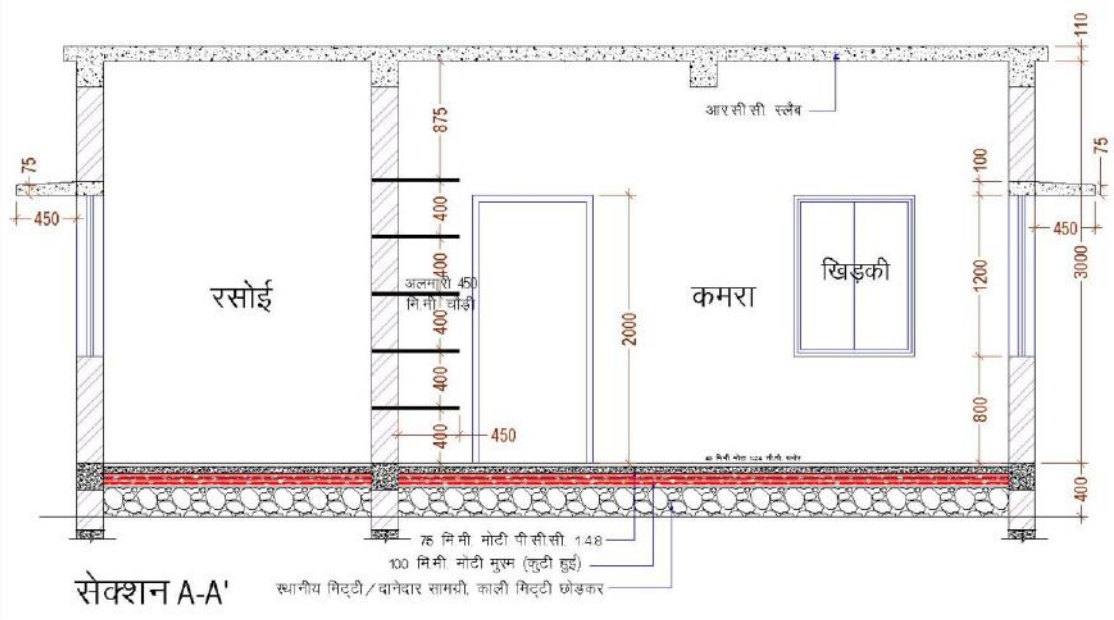

सेक्शन A-A'

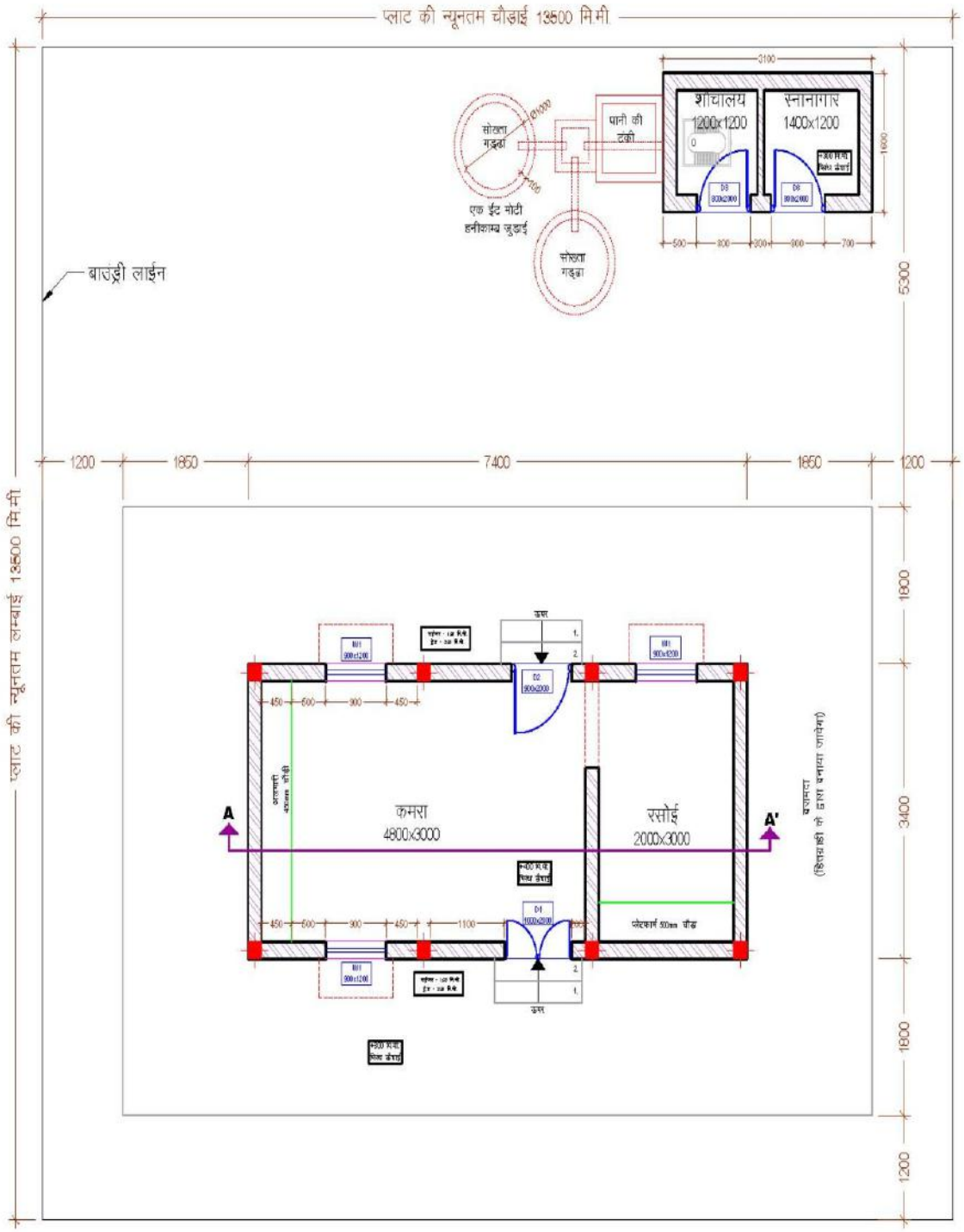

डिज़ाईन टाईप - **VII**
प्लिंथ एरिया 26.64 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : **13.50** मी. **x 13.30** मी.**(182.25** वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – VII

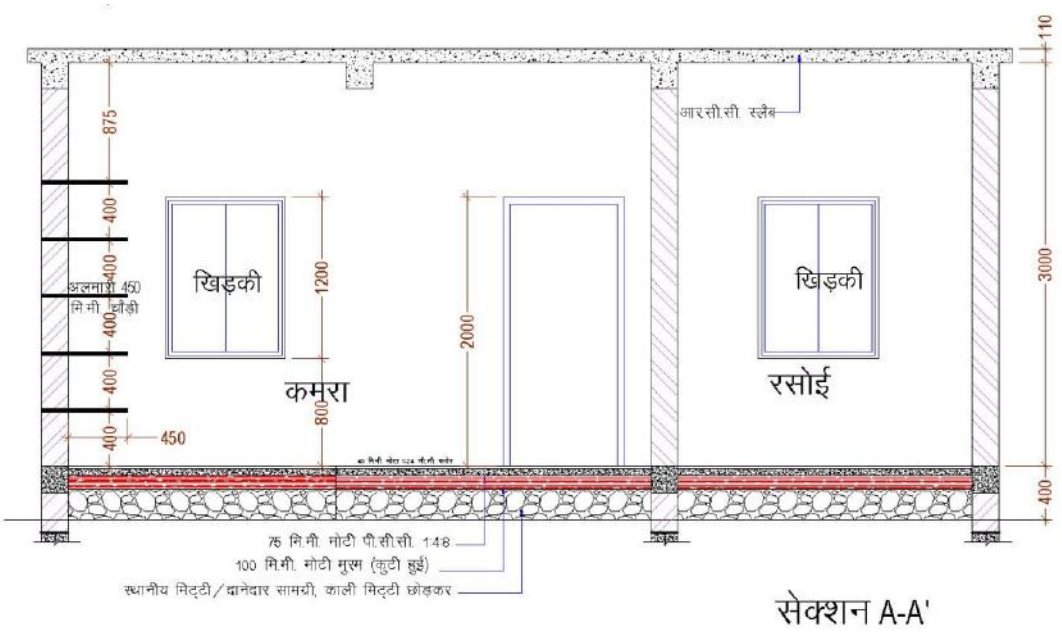

सेक्शन A-A'

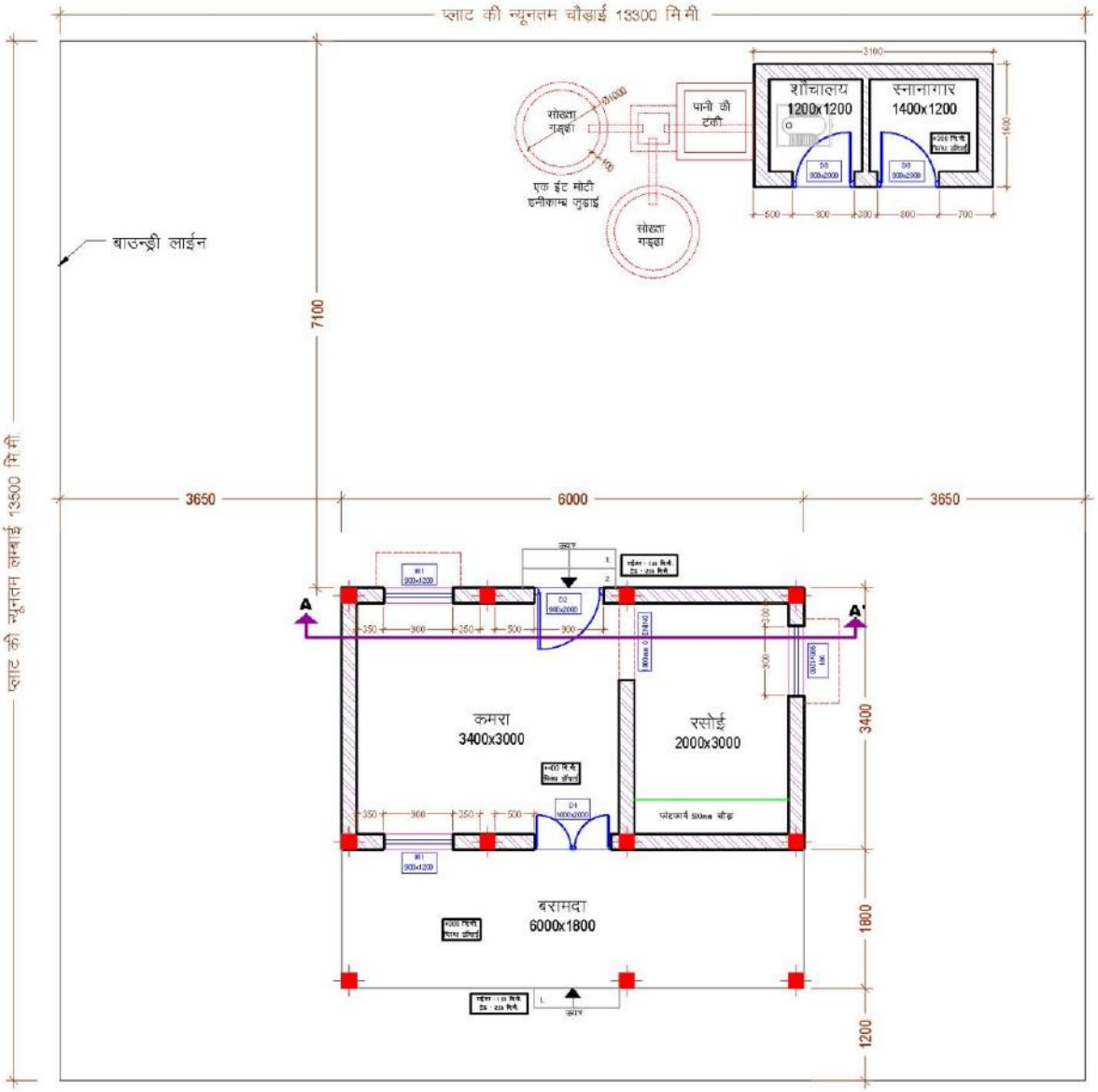

डिजाईन टाईप - VIII
प्लिंथ एरिया 31.20 वर्ग मीटर
न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : **13.50** मी. x **13.30** मी.(**179.55** वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – VIII

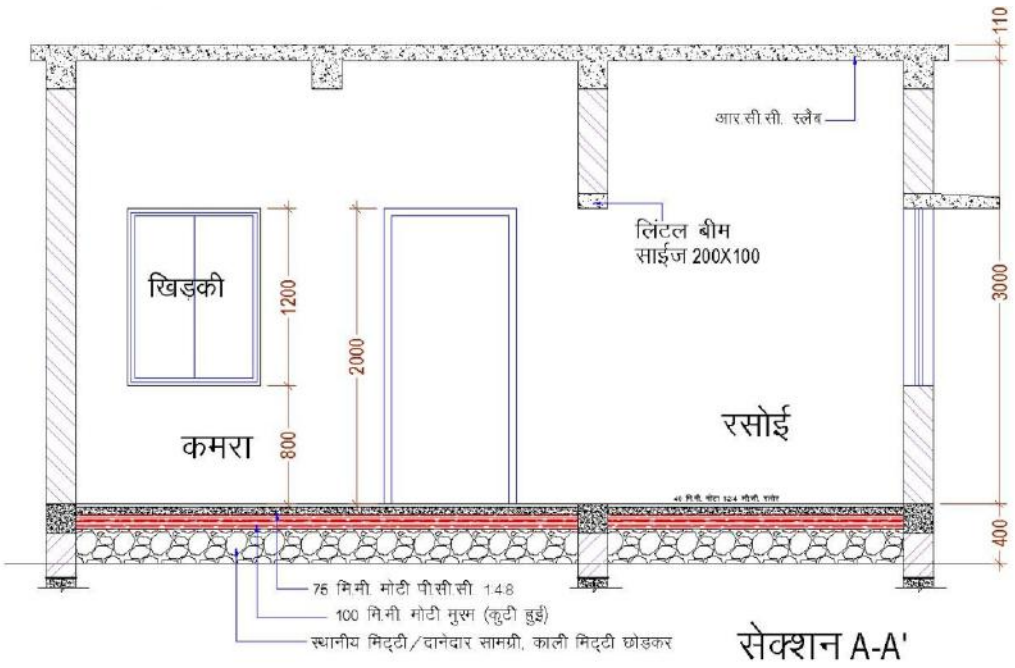

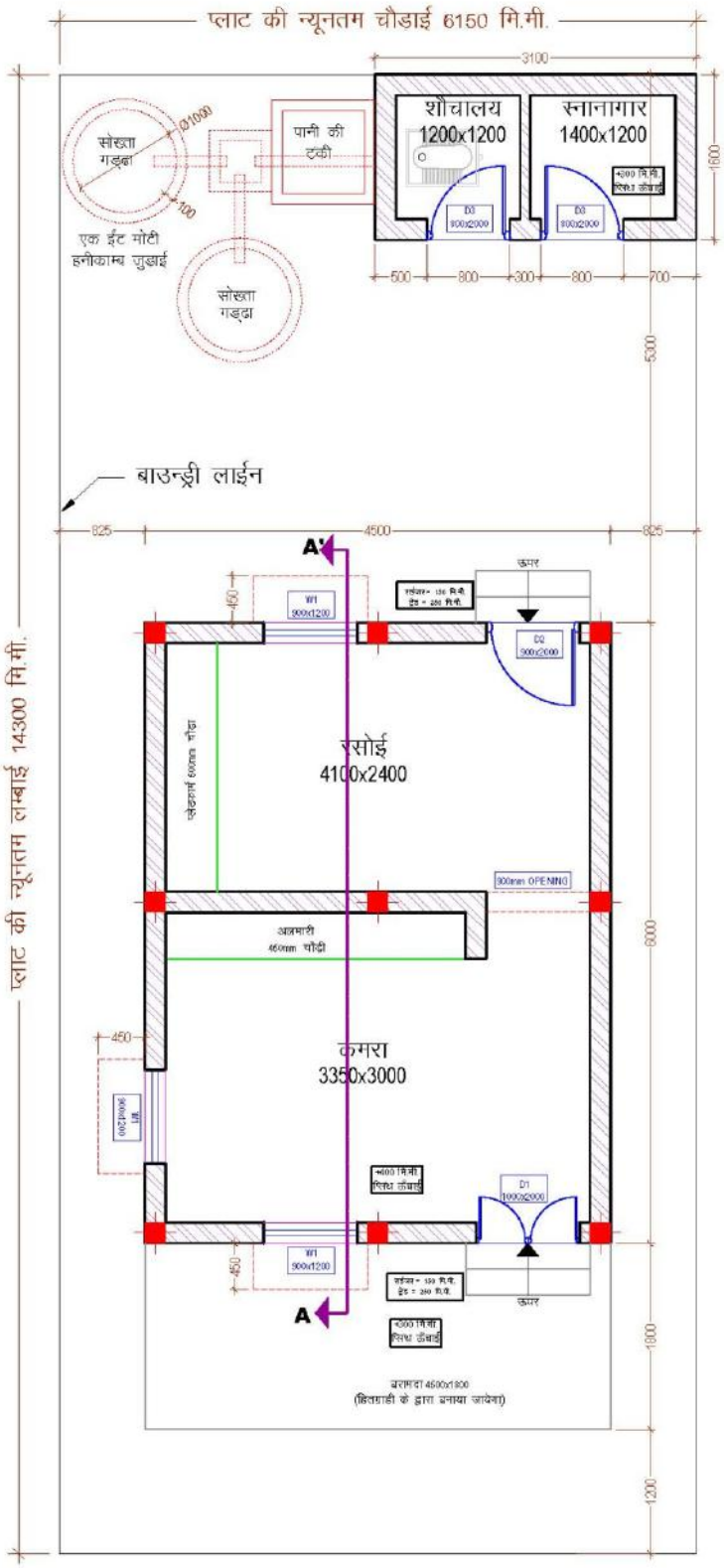

डिजाईन टाईप - **IX**

प्लिंथ एरिया 27.30 वर्ग मीटर

न्यूनतम आवश्यक प्लाट एरिया : 6.**15** मी. **x 14.30** मी. **(87.95** वर्ग मीटर)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण
डिजाईन टाईप – IX

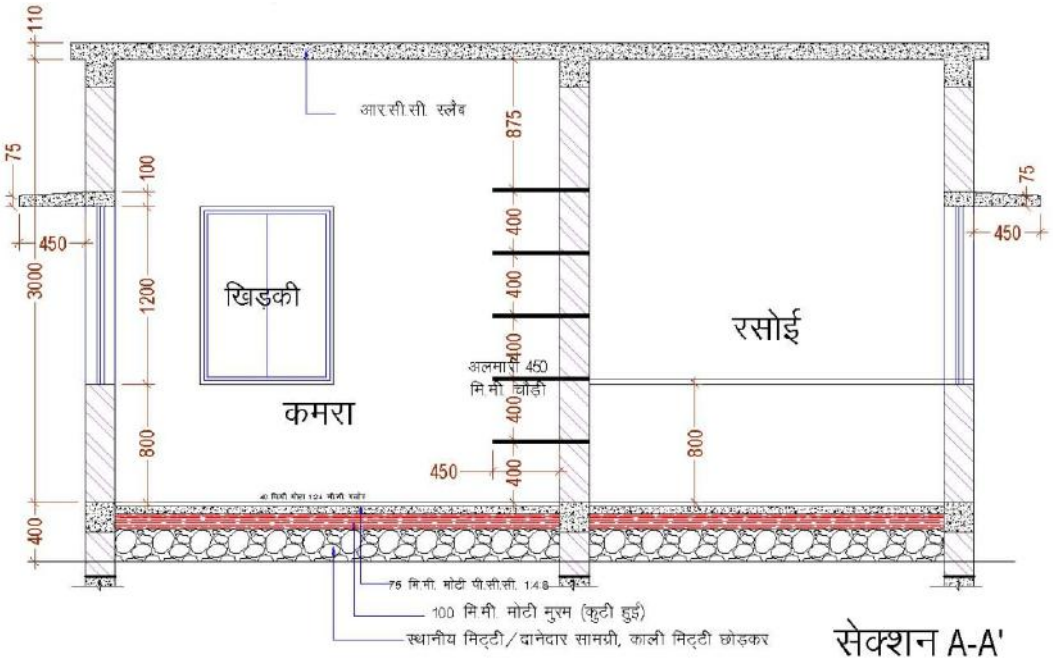

नोट्स

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश माध्यम/2016
www.mpmadhyam.in, E-mail : mpmdtp@yahoo.com